"न्याय रो सारथी"

(विधिक जागरूकता के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की एक अनूठी पहल)

संदेश

मुझे यह साझा करते हुए हार्दिक प्रसन्नता हो रही है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कानूनी साक्षरता और जागरूकता के अपने सतत प्रयास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ रहा है। रालसा के समाचार पत्र प्रकाशन 'न्याय रो सारथी' का यह तीसरा संस्करण आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसमें समकालीन समाज की ज्वलंत समस्याओं और उनसे जुड़े कानूनी पहलुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है।

इस संस्करण में हमने स्थायी लोक अदालत के महत्व को रेखांकित किया है। स्थायी लोक अदालत एक महत्वपूर्ण न्यायिक मंच है, जो जनउपयोगी सेवाओं से जुड़े विवादों को आपसी सहमति और सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में मदद करता है। हम आशा करते हैं कि इस खंड के माध्यम से आपको न्याय प्राप्त करने की सरल और निःशुल्क प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही इस संस्करण में अनुच्छेद 21 (ए) के तहत 06 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा- "शिक्षा का अधिकार" के महत्व, चुनौतियों और सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का भी उल्लेख है।

इसके अतिरिक्त, हमने एक महत्वपूर्ण और प्रायः अनदेखे पहलू 'इको-फेमिनिज्म' को भी इस संस्करण में शामिल किया है। प्रकृति एवम महिला, दोनो जननी हैं, सृष्टि व मनुष्य का सृजन करती हैं। रालसा ने प्रकृति और महिलाओं के अन्तर्निहित सम्बन्ध को दृष्टिगत रखते हुए 'सृजन की सुरक्षा' नाम से एक योजना प्रारम्भ कर बच्ची के जन्म को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की अभिनव पहल की है। इस योजना में बच्ची के जन्म पर हम 11 पेड़ लगायेंगे और बच्ची के परिवार को एक ग्रीन कार्ड जारी कर विधिक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेंगे।

अन्य गंभीर सामाजिक बुराई जैसे बाल विवाह पर भी इस संस्करण में विशेष ध्यान दिया गया है। बाल विवाह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन और उनके उज्ज्वल भविष्य को छीन लेने वाला अपराध भी है। इस खंड का उद्देश्य इस कुप्रथा के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और इसके रोकथाम के लिए कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना है। इन मुख्य विषयों के अतिरिक्त, इस संस्करण में आपको अन्य महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ भी मिलेंगी, जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी साबित होंगी और आपको अपने अधिकारों के प्रति अधिक सशक्त बनाएंगी।

हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि कानूनी ज्ञान प्रत्येक नागरिक को सशक्त बनाता है और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक होता है। आपका सक्रिय सहयोग और जागरूकता ही हमारे इस प्रयास को सफल बनाएगी।

आपसे आग्रह है कि इस संस्करण को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसमें निहित जानकारी को अपने आस-पास के लोगों तक भी पहुँचाएँ, ताकि कानूनी साक्षरता का यह दीप हर घर तक पहुँच सके।

(एस. चन्द्रशेखर)
न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं
कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

उर्मिला दीक्षित बनाम सुनील सहारन दीक्षित [2025] आई एन एस सी 20

माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त मामले में यह निर्धारित किया कि एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा दान की गई सम्पत्ति में देखभाल किये जाने के शर्त स्पष्ट नहीं होने पर भी, दान प्राप्त करता द्वारा देखभाल प्रदान न करने पर उस हस्तांतरण को रद्द करने का अधिकार रखता है। उर्मिला दीक्षित ने अपने बेटे को अपनी संपत्ति दान की थी जिसके बदले में उसे देखभाल का आश्वाशन दिया गया था, लेकिन जब उसे उपेक्षित किया गया, तो उसने 2007 के मुल्यांकन और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण अधिनियम की धारा 23 के तहत दान को रद्द करने का अनुरोध किया। कोर्ट ने उसके पक्ष में निर्णय दिया और कहा कि भले ही दान पत्र में देखभाल की शर्तें स्पष्ट रूप से नहीं दी गई हों, फिर भी वरिष्ठ नागरिक की उपेक्षा ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण को रद्द करने का कारण बनती है, और इस प्रकार यह फैसला वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के महत्व को स्पष्ट करता है।

«« शिक्षा का अधिकार »»

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 21ए के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार है।** इसे 2009 में संसद के एक अधिनियम द्वारा अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना है।

शिक्षा के अधिकार के मुख्य प्रावधान

- मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा: 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।
- निजी स्कूलों में आरक्षण: निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं।
- स्कूलों के लिए मानक: अधिनियम प्राथमिक शिक्षा के लिए आवश्यक मानकों को स्थापित करता है, जैसे कि बुनियादी ढांचा, शिक्षक और पाठ्यक्रम।
- बच्चों के लिए अधिकार: अधिनियम बच्चों को शारीरिक दंड और भेदभाव से बचाता है।
- सरकार की जिम्मेदारी: अधिनियम शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालता है।

शिक्षा के अधिकार का महत्व:

- समानता: यह सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का समान अवसर प्रदान करता है, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो।
- सामाजिक विकास: शिक्षा गरीबी को कम करने, स्वास्थ्य में सुधार करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करती है।
- आर्थिक विकास: एक दीक्षित आबादी देश के आर्थिक विकास में योगदान करती है।
- नागरिक सशक्तिकरण: शिक्षा व्यक्तियों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने और सक्रिय नागरिक बनने में मदद करती है।

शिक्षा के अधिकार की चुनौतियां

- बुनियादी ढांचे की कमी: कई स्कूलों में अभी भी बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जैसे कि कक्षाएँ, शौचालय और पेयजल।
- शिक्षकों की कमी: योग्य शिक्षकों की कमी है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।
- गुणवत्ता की कमी: कई स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता अभी भी कम है।
- जागरूकता की कमी: कई माता-पिता और समुदायों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं है।

शिक्षा के अधिकार को लागू करने के लिए सरकार द्वारा लिए गए प्रयास

- सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए): यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए चलाया गया था।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए): यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए चलाया गया था।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009: यह अधिनियम शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाता है।

शिक्षा का अधिकार भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। हालांकि, अभी भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। सरकार, नागरिक, समाज और समुदायों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले।

स्थायी लोक अदालत : एक परिचय

स्थायी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat) क्या है?

स्थायी लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22बी के तहत स्थापित एक स्थायी निकाय है। यह नियमित लोक अदालतों से इस मायने में अलग है कि यह समय-समय पर आयोजित होने के बजाय हमेशा कार्यरत रहती है। इसका मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का न्यायालयों में जाने से पहले अनिवार्य सुलह और समझौते के माध्यम से समाधान करना है।

सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां
किसी भी निर्धारण के उद्देश्य से, स्थायी लोक अदालत के पास सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होती हैं, जैसे:
- गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा उन्हें शपथ पर परीक्षित करना।
- दस्तावेजों की खोज और प्रस्तुति की आवश्यकता।
- शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना।

अनिवार्य पूर्व-मुकदमेबाजी मंच
यह सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों को अदालत में ले जाने से पहले समाधान करने का एक अनिवार्य माध्यम है।

मेरिट के आधार पर निर्णय का अधिकार
यदि सुलह के माध्यम से समझौता नहीं हो पाता है, तो स्थायी लोक अदालत के पास विवाद के गुण-दोष के आधार पर निर्णय देने का अधिकार है, बशर्ते कि विवाद किसी गैर-समाधान योग्य में संबंधित न हो।

अंतिम और बाध्यकारी निर्णय
स्थायी लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है, और इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।

मुख्य विशेषताएं

वित्तीय अधिकारिता
स्थायी लोक अदालतों की अधिकारिता वर्तमान में एक करोड़ रुपये तक के मामलों तक सीमित है।

कोई न्यायालय शुल्क नहीं
स्थायी लोक अदालत में मामला दर्ज करने के लिए कोई न्यायालय शुल्क नहीं देना होता है।

वकील की आवश्यकता नहीं
पक्षकार स्वयं अपने मामले प्रस्तुत कर सकते हैं, वकीलों की आवश्यकता नहीं होती है।

विशिष्ट सेवाओं पर अधिकारिता
यह मुख्य रूप से निम्नलिखित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों पर विचार करती है
- बिजली या वस्तुओं के वायु, सड़क या जल द्वारा परिवहन सेवाएं;
- डाक, तार या टेलीफोन सेवाएं;
- किसी भी संस्था द्वारा जनता को बिजली, प्रकाश या पानी की आपूर्ति;
- सार्वजनिक सफाई या स्वच्छता प्रणाली;
- अस्पताल या औषधालयों में सेवाएं;
- बीमा कंपनी (अधिष्ठानों के अनुसार भिन्न हो सकती है)।

मुख्य उद्देश्य

- मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना।
- सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से संबंधित विवादों का त्वरित और किफायती समाधान प्रदान करना।
- विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर जोर देना।

संरचना

स्थाई लोक अदालत में एक अध्यक्ष होता है, जो या तो एक सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश या समकक्ष पद का व्यक्ति होता है, और दो अन्य सदस्य होते हैं।

कार्यप्रणाली

- स्थाई लोक अदालत में विवाद दाखिल करने से पहले, पक्षकारों को सुलह के माध्यम से मामले को हल करने का अवसर दिया जाता है।
- यदि सुलह विफल हो जाती है, तो स्थाई लोक अदालत के पास विवाद का निर्णय करने का अधिकार है, बशर्ते कि विवाद किसी अपराध से संबंधित न हो।
- स्थाई लोक अदालत का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। इसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- स्थाई लोक अदालत प्रक्रिया को अपनी इच्छानुसार संचालित कर सकती है, जिसमें मामले की परिस्थितियों और पक्षकारों की इच्छाओं का ध्यान रखा जाता है। यह कठोर प्रक्रियात्मक कानूनों से बंधी नहीं होती है।

अधिकारिता

- स्थाई लोक अदालत उन मामलों की सुनवाई कर सकती है जिनमें विवादित संपत्ति का मूल्य एक करोड़ रुपये तक होता है।
- स्थायी लोक अदालत उन मामलों की सुनवाई नहीं करती है जो गैर-शमनीय अपराधों से संबंधित हैं।
- स्थायी लोक अदालत की अधिकारिता आमतौर पर एक करोड़ रुपये तक के दावों तक सीमित होती है।
- संक्षेप में, स्थाई लोक अदालत सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं से जुड़े विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, जो मुकदमेबाजी से पहले सुलह को प्राथमिकता देता है और समय बचाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

« मुख्य जन उपयोगी सेवाएं »

किस प्रकार के विवाद स्थायी लोक अदालत में जा सकते हैं?

☑ सार्वजनिक सफाई से जुड़े निम्नलिखित प्रकार के विवाद स्थायी लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र में जा सकते हैं:

- सफाई सेवाओं की कमी या अनुपलब्धता: यदि किसी क्षेत्र में नियमित सफाई नहीं हो रही है या सफाई सेवाएं उपलब्ध ही नहीं हैं। उदाहरण के लिए, यदि गांव जिला किसी विशेष इलाके में कचरा उठाने के लिए नियमित रूप से नहीं आ रहा है।
- अनुचित सफाई व्यवस्था: यदि सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है, जैसे कि कचरा सही तरीके से नहीं फेंका जा रहा है या खुले में फेंका जा रहा है जिससे गंदगी और बीमारियां फैलती हैं।
- सीवेज और जल निकासी संबंधी शिकायतें: यदि सीवेज सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है या जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे सड़कों पर पानी भर रहा है या गंदगी जमा हो रही है।
- सार्वजनिक सौंदर्यता की कमी या खराब स्वच्छता: यदि सार्वजनिक स्थानों पर पर्याप्त संख्या में सौचालय उपलब्ध नहीं हैं या वे गंदे हैं अथवा उनमें अनुपयोगी हैं।
- सफाई कर्मचारियों द्वारा लापरवाही: यदि सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कचरा इधर उधर फेंक देना या सफाई में लापरवाही बरतना।
- सफाई शुल्क से संबंधित विवाद: यदि सफाई सेवाओं के लिए अनुचित शुल्क लगाया जा रहा है या शुल्क वसूली में अनियमितताएं हैं।
- प्रदूषण संबंधी शिकायतें: यदि अनुचित गंदगी प्रबंधन के कारण प्रदूषण फैल रहा है, जैसे कि खुले में कचरा जलाने से वायु प्रदूषण या नालियों में कचरा जमा होने से जलप्रदूषण।

☑ स्थायी लोक अदालतें उपभोक्ताओं और बिजली, प्रकाश और पानी की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार प्रतिष्ठानों के बीच विवादों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन विवादों में निम्नलिखित मुद्दे शामिल हो सकते हैं:
- गलत बिलिंग: आपूर्ति में त्रुटियाँ, कनेक्शन संबंधी विवाद, सेवा की गुणवत्ता, टैरिफ मुद्दे, भुगतान के दावे

☑ परिवहन सेवा के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:
- रेल परिवहन: ट्रेन के समय में बदलाव, टिकट बुकिंग में समस्या, सामान की हानि, सुविधाओं की कमी आदि से संबंधित शिकायतें।
- वायु परिवहन: उड़ान में देरी या रद्द होना, टिकट संबंधी समस्याएँ, सामान की हानि, सेवाओं में कमी आदि से संबंधित शिकायतें।

☑ टेलीफोन सेवाओं से संबंधित निम्न प्रकार के विवाद शामिल हैं:
- बिल संबंधी विवाद: गलत बिल, अत्यधिक शुल्क, सेवाओं के अनुसार बिल न होना आदि।
- सेवा में कमी: नेटवर्क, कॉल ड्रॉप, इंटरनेट की गति कम एवं सेवाओं का अनुपलब्ध होना आदि।
- कनेक्शन संबंधी समस्याएं

☑ अस्पताल, चाहे वे सरकारी हों, निजी हों, या किसी भी चिकित्सा पद्धति (एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि) से संबंधित हों, जनोपयोगी सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। इसलिए, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित विवादों को स्थायी लोक अदालत में उठाया जा सकता है। इन विवादों में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं
- चिकित्सा लापरवाही के मामले।
- गलत निदान या उपचार के कारण हुई क्षति।
- बिना सहमति के उपचार करना।
- सेवाओं में कमी या इनकार।
- अत्यधिक शुल्क वसूलना।
- गलत दीकाकरण या दवाइयां देना।
- दोषपूर्ण शल्यक्रिया।
- पीड़ित व्यक्ति या उनके परिवारजन चिकित्सा सेवा में कमी या लापरवाही से संबंधित शिकायत स्थायी लोक अदालत में आवेदन कर सकते हैं।

☑ निम्नलिखित प्रकार के बीमा संबंधी विवाद स्थायी लोक अदालत में लाए जा सकते हैं:
- दावा अस्वीकृति: यदि बीमा कंपनी द्वारा पॉलिसीधारक का दावा अस्वीकार कर दिया जाता है, तो पॉलिसीधारक स्थायी लोक अदालत में जा सकता है।
- दावा निपटान में देरी: यदि बीमा कंपनी वैध दावा प्रस्तुत करने के बाद भी लंबे समय तक दावे का निपटान नहीं करती है, तो पॉलिसीधारक स्थायी लोक अदालत में शिकायत दर्ज करा सकता है।
- पॉलिसी शर्तों की व्याख्या: विवाद: यदि पॉलिसीधारक और बीमा कंपनी के बीच पॉलिसी की शर्तों की व्याख्या को लेकर कोई विवाद है, तो इसे स्थायी लोक अदालत में हल किया जा सकता है।
- प्रीमियम से संबंधित विवाद: प्रीमियम की गणना या भुगतान से संबंधित कोई भी विवाद स्थायी लोक अदालत के समक्ष रखा जा सकता है।

☑ बैंकों से संबंधित मामले
- ऋण और अग्रिम से संबंधित विवाद (हालांकि, कुछ मामलों में जैसे कि सरफेसी अधिनियम के तहत आने वाले मामले, स्थाई लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सीमित हो सकता है)।
- ब्याज दरों से संबंधित शिकायतें (हालांकि, बैंक दर विनियमन स्थाई लोक अदालत के दायरे से बाहर हो सकता है)।
- सेवा शुल्क और अन्य शुल्कों से संबंधित मुद्दे।
- बैंक खातों से संबंधित विवाद।
- चेक बाउंस और अन्य भुगतान संबंधी समस्याएं।

वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले
- गैर-बैंकिंग वित्तीय संघनियों (एनबीएफसीएस) से संबंधित विवाद
- बीमा सेवाओं से संबंधित शिकायतें।
- अन्य वित्तीय सेवाओं से संबंधित मुद्दे।

☑ यदि आप फ्रीयल एस्टेट से संबंधित कोई समस्या है, जैसे कि
- किसी संपत्ति का कब्जा प्राप्त न होना
- निर्माण में कमी या गुणवत्ता में खराबी
- खरीद/बिक्री के समझौतों का उल्लंघन
- मालिकन में देरी
- अन्य भू-संपदा संबंधी विवाद

तो आप अपनी शिकायत स्थायी लोक अदालत में दर्ज करा सकते हैं।

वर्ष 2025 की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत आज दिनांक 10 मई, को होगी आयोजित।

लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां न्यायालयों में लम्बित विवाद या मुकदमा प्रस्तुत करने के पहले के स्तर पर विवादों को आपसी समझौते या राजीनामा से निपटाया जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अन्तर्गत लोक अदालत द्वारा पारित किये गये अवॉर्ड को सिविल अदालत की डिक्री के समान माना जाता है। उक्त अवॉर्ड अंतिम होता है, जिसकी कोई अपील नहीं हो सकती तथा ये सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। प्री-लिटिगेशन स्टेज (मुकदमा प्रस्तुत करने के पूर्व के स्तर पर) पर भी पक्षकार अपना प्रकरण लोक अदालत में रखवा सकते हैं। ऐसे मामलों में, जो अवॉर्ड पारित होता है, वह डिक्री के समान होता है और मुकदमा प्रस्तुत किये बगैर ही उन पक्षकारों का विवाद राजीनामा से निस्तारित हो जाता है।

लोक अदालत में रखे जाने वाले मामले

1. सभी राजीनामा योग्य आपराधिक मामले
2. धारा 138 एन.आई. एक्ट के प्रकरण
3. एम.ए.सी.टी. के प्रकरण
4. वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर)
5. श्रम एवं नियोजन संबंधी विवादों के प्रकरण, कर्मकार मुआवजा, पेंशन मामले
6. भूमि अधिग्रहण मामले
7. राजस्व मामले
8. नल, बिजली, टेलिफोन बिल संबंधी मामले
9. उपभोक्ता शिकायत मामले
10. दीवानी मामले (किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार कब्जा प्राप्ति, निषेधाज्ञा, घोषणा, धन वसूली वाद, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालन के दावे)
11. राजीनामा योग्य मामले जो अन्य अधिकरण/आयोग/मंच/प्राधिकारी के समक्ष लंबित हों।

यदि कोई व्यक्ति/पक्षकार न्यायालय में लंबित अपने उक्त प्रकृति के प्रकरणों को सुलह के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहता है तो वह आज माननीय राजस्थान उच्च न्याय लय एवं समस्त जिला न्यायालयों में आयोजित होने वाली लोक अदालत में प्रकरणों को रखवा सकता है।

वर्ष में चार बार पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाती हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत सिविल आपराधिक न्यायालय व राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के अलावा प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के लिए आयोजित की जाती हैं राजस्थान में माह मार्च में वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया जिसमें न्यायालयों में लंबित 3.72 लाख मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें चैक अनादरण के 23107 एवं मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित 2883 प्रकरण थे, जिनका निस्तारण राजीनामे के माध्यम से हुआ। वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में वर्षों से चल रहे कई मुकदमों का निस्तारण किया गया। इनमें से 832 मामले तो 10 साल से अधिक पुराने थे।

सफल कहानियाँ :-

- बारां जिले में पति-पत्नि के मध्य लंबे समय से चला आ रहा विवाद लोक से जनीनी विवाद था। उक्त प्रकरण में वादी इस प्रकरण में पक्षकारान् के मध्य वर्ष 2012 अदालत की भावना से राजीनामे के द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया कि माध्यम से समाप्त हुआ तथा दोनों एक उनके पिता की वसीयत फर्जी एवं कूटरचित साथ रहने को तैयार हुए। प्रकरण में फर्जी व कूटरचित दस्तावेज बनाकर धोखाधड़ी किया गया। जिसके कारण सम्मत नहीं होने पर प्रकरण निरस्त करने योग्य है। प्रकरण में पुनर्विचार है, जो कि कानून सम्मत नहीं होने
- कोटा जिले के एक प्रकरण में सड़क के कारण दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक के राजीनामे की संभावना को देखते हुए प्रकरण वारिसान/आश्रितगण के द्वारा प्रस्तुत को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु रैफर किया क्लेम पर प्री-काउंसलिंग के दौरान बीमा गया। तत्पश्चात् बैंच द्वारा दोनों पक्षकारान के कंपनी तथा वारिसान/आश्रितगण के मध्य मध्य समझाईश करवायी गयी, पूर्व में भी राजीनामा करवाया गया और प्रकरण का उक्त प्रकरण में नष्ट्यस्थता केन्द्र द्वारा भी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण किया मध्यस्थता करवायी गयी थी। समझाईश के गया। फलस्वरूप दोनों पक्षकारान लोक अदालत
- बीकानेर जिले के एक प्रकरण में दो पक्षों के बीच में राजीनामा हेतु सहमत हुए इस मध्य लगभग 13 वर्षों से चले आ रहे प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जमीनी विवाद का राजीनामे के माध्यम से लगभग 13 वर्ष से चले आ रहे जमीनी समाधान करवाया गया। न्यायालय अपर विवाद का राजीनामे द्वारा अंतिम रूप से जिला एवं सैशन न्यायाधीश, बीकानेर के निस्तारण किया गया।

स्थायी लोक अदालत में शिकायत कैसे दर्ज करें?

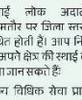

शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया आमतौर पर सरल होती है और इसके लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधे स्थायी लोक अदालत के कार्यालय में जाकर या उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत में समस्या का स्पष्ट विवरण और संबंधित अधिकारियों या विभाग का नाम शामिल होना चाहिए।

स्थाई लोक अदालत का कैसे पता करें?

स्थाई लोक अदालतें आमतौर पर जिला स्तर पर स्थित होती हैं। आप निम्नलिखित तरीकों से अपने क्षेत्र की स्थाई लोक अदालत का पता जान सकते हैं:

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) की वेबसाइट: प्रत्येक राज्य का अपना विधिक सेवा प्राधिकरण होता है जिसकी वेबसाइट पर स्थाई लोक अदालतों की सूची और उनके पते दिए गए होते हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की वेबसाइट है:

https://rlsa.rajasthan.gov.in/

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की वेबसाइट https://nalsa.gov.in/

परमी आपको जानकारी मिल सकती है।

रालसा वन एवं वानिकी वर्ष 2025 - 'सृजन की सुरक्षा' योजना

उद्देश्य: • कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना • घरेलू अपराधों की रोकथाम • पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना • विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना • जमीनी स्तर पर बेजनाओं के विकासात्मक को मजबूत करना • न्याय तक पहुँच प्रदान करना।

सृजन की योजना के तहत पंचायतों के चयन: राज्य के सभी 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से, प्रासंगिक सामाजिक - आर्थिक आधार और सामुदायिक भागीदारी की क्षमता का मूल्यांकन कर ग्रामीण पंचायतों का चयन करेंगे। इन पंचायतों में लगभग 50 प्रतिशत महिला मतदाता हैं।

उद्देश्य: • कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना • घरेलू अपराधों की रोकथाम • पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना • विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाना • जमीनी स्तर पर बेजनाओं के विकासात्मक को मजबूत करना • न्याय तक पहुँच प्रदान करना।

सृजन की योजना के तहत पंचायतों के चयन: राज्य के सभी 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से, प्रासंगिक सामाजिक - आर्थिक आधार और सामुदायिक भागीदारी की क्षमता का मूल्यांकन कर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में एक- एक ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे, जिनमें यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी।

हरित पहल - युक्तारोपण अभियान:
- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, संबंधित पंचायतों और राज्य वन विभाग के सहयोग से, चयनित पंचायतों में प्रत्येक बालिका के जन्म पर न्यूनतम ग्यारह (11) पौधे लगाने का कार्यक्रम शुरू करेंगे।

इन पौधों की प्रारम्भिक देखभाल और पोषण की जिम्मेदारी सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से प्रोत्साहित व संलिप्त की जाएगी, जिन्हें नवजात बालिका के परिवार और स्थानीय महिला समूहों को शामिल किया जाएगा।

वन विकास पौधे उपलब्ध कराएगा तथा उन्हें लगाने और भविष्य में उनके रखरखाव में सहायता करेगा।

'हरित बालिका' के लिए विशिष्ट पहचान पत्र: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चयनित पंचायतों में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका को एक विशेष पहचान पत्र जारी करेगा, जो हरित आंदोलन (वृक्षारोपण पहल के माध्यम से) से जुड़ी है। यह कार्ड प्रतीकात्मक रूप से बालिका को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ेगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण 'हरित बालिका' के परिवारों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ेगा और उन्हें निम्नलिखित के बारे में जानकारी और सहायता प्रदान करेगा:
- निःशुल्क सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवा योजनाओं तक पहुँच • दैनिक अवसर और प्रासंगिक सरकारी योजनाएँ • उपलब्ध सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम • अस्पताल पंजीकरण और सहायता, जो विशेष रूप से बालिका अधिकारों, महिलाओं के अधिकारों और पोक्सो अपराधों से संबंधित होगी।

« बाल विवाह - एक सामाजिक बुराई »

बाल विवाह वह विवाह है जिसमें लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम या लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो। यह न केवल कानूनी रूप से अमान्य है, बल्कि यह एक गहरी सामाजिक समस्या भी है।

राजस्थान में बाल विवाह की समस्या एक गंभीर सामाजिक चिंता का विषय बनी हुई है, जो विशेष रूप से कुछ पारंपरिक अवसरों पर अधिक देखने को मिलती है। बाल विवाह की इस बढ़ती प्रवृत्ति के पीछे ऐतिहासिक परंपराएं, सामाजिक दबाव, आर्थिक तंगी और धार्मिक मान्यताएं प्रमुख कारण हैं। विशेष रूप से अक्षय तृतीया (आखा तीज), पीपल पूर्णिमा, रथ सप्तमी, देव उठनी एकादशी, वैशाखी और गुरु पूर्णिमा जैसे शुभ माने जाने वाले पर्वों पर बड़ी संख्या में बाल विवाह संपन्न होते हैं, क्योंकि इन दिनों विवाह के लिए विशेष मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती और सामूहिक विवाहों की व्यवस्था की जाती है।

बाल विवाह के कारण »
- गरीब माता-पिता सोचते हैं कि जल्दी शादी करवा देने से आर्थिक बोझ कम होगा।
- अशिक्षा- जागरूकता की कमी के कारण लोग नहीं जानते कि यह कानूनन अपराध है।
- लिंग भेदभाव - बेटियों को बोझ समझा जाता है, इसलिए जल्दी शादी कर दी जाती है।
- परंपराएँ और सामाजिक दबाव - गांवों और कस्बों में आज भी परंपराओं के नाम पर बाल विवाह कराए जाते हैं।
- सुरक्षा का डर लड़कियों की सुरक्षा के नाम पर माता-पिता जल्दी शादी करवा देते हैं।

प्रभाव और दुष्परिणाम »
- स्वास्थ्य पर असर: किशोर अवस्था में गर्भधारण से बच्चियों में खून की कमी कमजोरी और कई बार मातृ मृत्यु तक हो सकती है।
- शिक्षा रुक जाती है, विवाह के बाद लड़कियों की पढ़ाई प्रायः छूट जाती है।

कानूनी ढांचा
- घरेलू हिंसा और शोषण का खतरा बढ़ जाता है।
- आर्थिक निर्भरता: छोटी उम्र में शादी से लड़कियां आत्मनिर्भर नहीं बन पातीं।
- मानसिक अवसाद और सामाजिक अलगाव।

बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 »
- यह कानून बाल विवाह को गैर कानूनी घोषित करता है।
- विवाह में भाग लेने वाले विवाह कराने वाले और सहमति देने वाले सभी पर 2 वर्ष की सजा या 1 लाख तक के जुर्माना लगाया जा सकता है।
- यदि कोई नाबालिग लड़की या लड़का चाहे तो 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह को शून्य (Void) कर सकते हैं।

POSCO अधिनियम, 2012 »
- नाबालिग से शारीरिक संबंध यौन अपराध की श्रेणी में आता है, भले ही वह विवाह के बाद हुआ हो
- विवाह के नाम पर यौन शोषण करना सख्त सजा के दायरे में आता है।

राजस्थान में बाल विवाह की शिकायत आप जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) बाल कल्याण समिति (CWC) महिला एवं बाल विकास विभाग, या नजदीकी पुलिस थाने में कर सकते हैं। आप 1098 चाइल्डलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, जो 24x7 स